

आईडीबीआई बैंक लि.

समेकित पिलर III प्रकटन (30 जून 2026)

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित हानियों की जोखिम से बचाव के रूप में तथा अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है और उसका प्रबंध करता है. बैंक की भावी पूंजी अपेक्षाओं को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में अनुमानित किया जाता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, चलनिधि स्थितियों जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाज़ार के रुख के बारे में राय तय की जाती है. इसके अलावा, तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है.

साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स पर भी विचार किया जाता है. दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है. बासेल III मानदंडों का मुख्य ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर है. 30 जून 2026 को बैंक की एकल सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात	
सीईटी 1	26.38%
टियर 1	26.38%
टियर 2	0.54%
सीआरएआर	26.92%

जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

वर्तमान व भावी जोखिमों, जो पिलर-I के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल नहीं या पूरी तरह से शामिल नहीं हैं, की पहचान, मात्रा - निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है. इस नीति में ऐसी जोखिमों से निपटने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना शामिल है जिससे पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखा जाता है. यह निर्धारण करने के लिए आवधिक रूप से आईसीएएपी अभ्यास किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है. बैंक की आईसीएएपी नीति व्यापक दबाव परीक्षण के लिए एक रोडमैप भी निर्धारित करती है जो विनियामक दबाव की स्थितियों को शामिल करते हुए, बैंक की जोखिम प्रोफ़ाइल और पूंजी स्थिति

पर गंभीर लेकिन संभावित दबाव परिदृश्यों के प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है. दबाव परीक्षण अभ्यास तिमाही आधार पर किए जाते हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 नवंबर 2025 के मास्टर निर्देशों के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है. बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर दबाव परिदृश्य के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है. दबाव परीक्षण रूपरेखा के अंतर्गत बैंक की पूंजी स्थिति और लाभप्रदता पर सकल एनपीए में और अधिक बढ़ोतरी, एनपीए की एनएफबी संबंधी सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और तकनीकी रूप से बढ़े खाते में डाले गए खातों एवं गैर-चलनिधि प्रतिभूतियों के प्रभाव को समझने के लिए परिदृश्य विश्लेषण शामिल है. विलोम दबाव परीक्षण प्रणाली का उपयोग दबाव के उस स्तर को जानने के लिए किया जाता है जो पूंजी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर इसे पूर्व-निर्धारित निम्न स्तर पर ले जाए. इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं.

30 जून 2026 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

पूंजी आवश्यकता	
ऋण जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	21,122.94
प्रतिभूतिकरण	132.65
बाज़ार जोखिम पूंजी :	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	1,142.95
ब्याज दर जोखिम	288.41
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	39.60
इक्विटी जोखिम	814.93
डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प)	0.00
परिचालन जोखिम पूंजी :	
मूल संकेतक दृष्टिकोण	2,614.86
सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात :	
सीईटी 1	26.50%
टियर 1	26.50%
टियर 2	0.54%
कुल (टियर 1 + टियर 2)	27.04%

डीएफ-3क: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन:

ऋण जोखिम एक प्रकार की हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक करने या विफल होने के कारण उत्पन्न हो सकती है. ऐसी

किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के ज़रिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है. यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है. रिपोर्टिंग संबंध तथा सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी आबंटन को और मजबूत बनाया गया है.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों के लिए बाध्यकारी हैं. बैंक की ऋण नीति एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने, उसे बनाए रखने और उसका रखरखाव करने के उद्देश्य के साथ संचालित है. नीति दस्तावेज़ में व्यापक दृष्टिकोण और विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों को उधार देने के लिए मार्गदर्शन, ऋण प्रक्रिया पर मार्गदर्शन के साथ-साथ, ऋण जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और निगरानी, साथ ही आस्ति गुणवत्ता बनाये रखने पर बल व जोखिम समायोजित प्रतिलाभ निर्धारित किये गये हैं. यह नीति काउंटर पार्टी, कारोबारी समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है. यह नीति मौजूदा कारोबारी परिवेश तथा विनियामक शर्तों के आलोक में कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो के लिए मानक निर्दिष्ट किए गए हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. ऋण नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाज़ार) में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए या उनके प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है. यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर, संवेदनशील क्षेत्र को एक्सपोजर, उद्योग एक्सपोजर, अप्रतिभूत एक्सपोजर, आदि के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, रियल एस्टेट, पूंजी बाज़ार, पण्य, रत्न और आभूषण तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पर विशिष्ट नीति और विभिन्न देशों में एक्सपोजर से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर नीति है. विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक निवल लेखा पद्धति का पालन करते हुए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत एक्सपोजर की गणना भी करता है.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है. बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है. बैंक ऋण जोखिम रेटिंग हेतु वेब-आधारित रेटिंग प्लेटफॉर्म आईसीओएन का उपयोग करता है. वर्तमान में आईसीओएन नौ ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल होस्ट करता है. उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके. क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया निर्माता और परीक्षक अवधारणा पर आधारित एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण है. ऋण प्रस्तावों की रेटिंग एक्सपोजर के आकार/प्रकार तथा मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के आधार पर निर्धारित स्तरों पर किया जाता है. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है. उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है, यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करती है.

ऋण पोर्टफोलियो निगरानी:

आंतरिक और विनियामक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अनुचित संकेंद्रण (उधारकर्ता या उद्योग) से बचने के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है. इसे उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता है. इसके अलावा, आस्ति पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो आयामी रणनीति अर्थात् आस्ति गिरावट की घटना पर नियंत्रण और एनपीए का समाधान/ वसूली, अपनाई है.

इस संबंध में, बैंक के पास एक ऋण निगरानी नीति है जो बैंक की ऋण नीति का एक अभिन्न अंग है और यह बैंक के सभी व्यावसायिक वर्टिकलों और शाखाओं के मानक ऋण खातों पर लागू है. नीति में ऋण जोखिम का समय पर, प्रभावी और संरचित मूल्यांकन, विश्लेषण, समीक्षा, निगरानी और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता में सुधार करना है. इस नीति का कार्यान्वयन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) द्वारा किया जाता है. सीएमजी द्वारा ऋण निगरानी के तीन स्तंभों को लागू किया जाना है.

- दबाव की शुरुआत/विशेष उल्लेख खातों की निगरानी
- एसएमए निगरानी और नियंत्रण
- ऋण खातों में प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस)

इसके अलावा, बैंक के पास एक एनपीए प्रबंधन नीति है, जो मौजूदा मानक आस्तियों के गिरावट को रोकने और गहन निगरानी, निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई और एक उपयुक्त सक्रिय सुधारात्मक कार्रवाई योजना विकसित करके एनपीए की वसूली / समाधान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं:

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में करता है। अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिन से अतिदेय हो और ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'अनियमित' रहता है। यदि बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से अधिक बनी रहती है, तो खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए। यदि मूल परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख को लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाना चाहिए। अन्य एनपीए निम्नानुसार हैं:

- क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हो,
- अल्पावधि फसलों के मामले में मूलधन अथवा उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसम से अतिदेय हो,
- दीर्घावधि फसलों के मामले में मूलधन अथवा उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम से अतिदेय हो,
- भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के अनुसार प्रतिभूतिकृत लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है,
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि ये भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हैं।
- ब्याज भुगतान के मामले में, बैंकों के किसी खाते को एनपीए के रूप में तब ही वर्गीकृत करना चाहिए, जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित किया गया ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से अदा नहीं कर दिया जाता है।

एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह से कम या इससे बराबर अवधि से एनपीए रहा हो। किसी

आस्ति को संदिग्ध तब वर्गीकृत किया जाता है, जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह की अवधि से हो. हानि आस्ति वह है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार प्रावधान करता है.

ख और ग. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर एवं एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण: निधि एवं गैर-निधि आधारित

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
देशी	3,70,338.86	1,09,097.68	4,79,436.55
विदेशी	15,354.52	0.00	15,354.52
कुल सकल एक्सपोजर	3,85,693.38	1,09,097.68	4,94,791.06

घ. सकल ऋण एक्सपोजर का उद्योग प्रकार वितरण: निधि और गैर-निधि आधारित

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	35,660.18	72.02	35,732.21
परिवहन परिचालक	830.86	219.54	1,050.40
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	535.74	695.51	1,231.24
पर्यटन, होटल और रेस्तराँ,	861.73	27.87	889.59
शिपिंग	22.52	185.17	207.69
पेशेवर सेवाएं	1,886.61	680.47	2,567.08
व्यापार	28,847.28	2,707.62	31,554.89
वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा	1,444.72	44.90	1,489.61
एनबीएफसी	45,405.65	2,150.06	47,555.70
अन्य सेवाएं	54,041.32	9,861.19	63,902.51
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	87,199.99	0.00	87,199.99
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	1,118.66	0.00	1,118.66
क्रेडिट कार्ड प्राप्त राशियाँ	1,179.66	0.00	1,179.66

उद्योग का नाम	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
वाहन / ऑटो ऋण	3,979.03	0.00	3,979.03
शिक्षा ऋण	2,198.75	0.00	2,198.75
मीयादी जमाराशियों (एफसीएनआर (बी) आदि सहित) पर अग्रिम	9.36	0.00	9.36
अन्य खुदरा ऋण	26,559.56	0.00	26,559.56
खनन और उत्खनन	1,376.08	1,742.30	3,118.38
खाद्य प्रसंस्करण	6,775.45	713.00	7,488.46
पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू	432.51	32.62	465.13
वस्त्र	5,056.36	1,182.39	6,238.74
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	164.69	4.33	169.02
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	172.70	8.00	180.70
कागज और कागज उत्पाद	1,234.47	451.67	1,686.15
पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और नाभिकीय ईंधन	5,131.53	7,559.63	12,691.17
रसायन और रसायन उत्पाद (डाई, पेंट आदि)	8,259.58	5,225.72	13,485.29
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1,717.49	423.61	2,141.11
काँच और काँच के बर्तन	67.85	0.21	68.06
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1,136.15	2,023.65	3,159.81
मूल धातु और धातु उत्पाद	15,339.63	11,831.46	27,171.09
सभी इंजीनियरिंग	8,958.66	7,929.40	16,888.06
वाहन, वाहन पुर्जे और यातायात उपकरण	2,105.44	2,037.65	4,143.09
रत्न एवं आभूषण	1,776.40	580.27	2,356.66
निर्माण	3,872.08	4,465.50	8,337.58
इन्फ्रास्ट्रक्चर	21,629.99	43,390.37	65,020.36
अन्य/ अवशिष्ट उद्योग	8,704.69	2,851.56	11,556.25
कुल	3,85,693.38	1,09,097.68	4,94,791.06

सकल ऋण एक्सपोजर में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग

(राशि ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	%
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित)	87,199.99	0.00	87,199.99	17.62%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	21,629.99	43,390.37	65,020.36	13.14%
अन्य सेवाएं	54,041.32	9,861.19	63,902.51	12.92%

एनबीएफसी	45,405.65	2,150.06	47,555.70	9.61%
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	35,660.18	72.02	35,732.21	7.22%
व्यापार	28,847.28	2,707.62	31,554.89	6.38%
मूल धातु और धातु उत्पाद	15,339.63	11,831.46	27,171.09	5.49%
अन्य खुदरा ऋण	26,559.56	0.00	26,559.56	5.37%

ड. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण

(राशि ₹ करोड़ में)

परिपक्वता अवधि	जून 2026 को आस्तियां				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास शेष	निवेश	अग्रिम	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां	कुल आस्तियां
1 दिन	14,558.20	42,925.13	1,101.30	10.29	58,594.92
2 से 7 दिन	772.30	3,876.86	2,508.21	1,245.07	8,402.44
8 से 14 दिन	203.86	3,019.28	2,937.11	138.71	6,298.97
15 से 30 दिन	935.26	11,723.76	6,555.79	2,669.21	21,884.02
31 दिन से 2 माह तक	1,063.22	2,472.65	8,946.61	725.74	13,208.22
2 माह से अधिक व 3 माह तक	386.47	2,260.96	7,491.61	31.26	10,170.28
3 माह से अधिक व 6 माह तक	2,192.25	10,009.42	9,490.53	101.43	21,793.63
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	2,393.51	12,854.88	12,077.71	1,132.84	28,458.94
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	4,177.43	26,354.50	1,06,434.88	778.91	1,37,745.72
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	44.42	5,063.90	24,867.88	6,519.33	36,495.53
5 वर्ष से अधिक	72.11	11,112.63	76,556.40	13,710.15	1,01,451.29
कुल	26,799.03	1,31,673.97	2,58,968.02	27,062.94	4,44,503.96

च, छ एवं ज. अनर्जक आस्तियां (सकल) की राशि एवं निवल अनर्जक आस्तियां तथा अनर्जक आस्तियों का अनुपात :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
सकल अग्रिम	2,64,632.17
निवल अग्रिम	2,58,968.02
30 जून 2026 को सकल अनर्जक आस्तियां	
क. अवमानक	792.8
ख. संदिग्ध 1	469.66
ग. संदिग्ध 2	620.52
घ. संदिग्ध 3	578.73
ङ. हानि	3,627.94
कुल	6,089.65
एनपीए प्रावधान*	5664.15
निवल एनपीए	425.50
एनपीए अनुपात	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	2.30%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	0.16%

* एनपीए पर एनपीवी हानि, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी प्रावधान सहित.

झ. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण (सकल एनपीए)	यथा 30 जून 2026 को
1 अप्रैल 2026 को आरंभिक शेष	6,028.12
परिवर्धन	457.31
बट्टे खाते	201.18
कटौतियां	194.60
अंतिम शेष	6,089.65

ज. क) विशिष्ट एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को
	विशिष्ट प्रावधान*
1 अप्रैल 2026 को आरंभिक शेष	5,648.23
जोड़ें : अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	398.12
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरण	0.00
घटाएं: बट्टे खाते	201.18
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	181.01
अंतिम शेष	5,664.15

* एनपीए पर एनपीवी हानि, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी प्रावधान सहित.

ख) सामान्य प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को
	सामान्य प्रावधान
1 अप्रैल 2026 को आरंभिक शेष	2446.19
जोड़ें : अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	(1211.95)
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरण	0
घटाएं: बट्टे खाते	0
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	
अंतिम शेष	1,234.24

30 जून 2026 की तिमाही के लिए आय विवरण में सीधे दर्ज किए गए बट्टे खाते और वसूली की राशि ₹ 958.45 करोड़ है.

ट. एवं ठ. 30 जून 2026 को अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को
अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की राशि	1,826.73
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	1,826.73

ड. निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव (तिमाही दर तिमाही)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को
-------	----------------

1 अप्रैल 2026 को आरंभिक शेष	4,963.19
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	0.00
आधिक्य प्रावधानों को बढ़े खाते डालना/ प्रतिलेखन	703.39
अंतिम शेष	4,259.80

ढ. प्रमुख उद्योगवार एनपीए, विशिष्ट प्रावधान एवं बढ़े खाते डालना*

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को		वर्तमान अवधि के दौरान	
	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए)	बढ़े खाते डालना
शीर्ष 5 उद्योगों में एनपीए और विशिष्ट प्रावधान	3,991.39	3,716.27	147.75	102.66

* उद्योगों को सकल ऋण एक्सपोजर के आधार पर चिह्नित उद्योग.

सामान्य अनर्जक आस्ति प्रावधान शून्य है.

ण. क) एनपीए की भौगोलिक आधार पर स्थिति एवं विशिष्ट प्रावधान का विवरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	6,062.72	26.94	6,089.65
एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान	5,637.22	26.94	5,664.15

ख) भौगोलिक आधार पर स्थिति सामान्य प्रावधान का विवरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	30 जून 2026 को		
	देशी	विदेशी	कुल
सामान्य प्रावधान	1,234.24	0.00	1,234.24

तालिका डीएफ-4 : ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का
प्रकटन:

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का उपयोग करता है। बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, एक्यूटी, इंफोमेरिक्स, ब्रिक वर्क और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज़ तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें। प्रदत्त रेटिंग का उपयोग तुलन-पत्र में एवं तुलन-पत्र से इतर सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं रेटिंग्स पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हैं।

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है। बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक की संविदात्मक परिपक्वता वाले वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का उपयोग करता है।

किसी कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। ऐसे मामले, जहाँ दो रेटिंग हैं, अलग-अलग जोखिम भार को आकर्षित करते हुए, उच्च जोखिम भार लागू किये जाते हैं। तीन या अधिक रेटिंग के मामले में द्वितीय निम्नतर रेटिंग भार लागू किया जाता है। 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम-भार	निवल एक्सपोजर
100% से कम	3,62,364.94
100% पर	39,092.41

100% से अधिक	42,492.64
पूंजी से कटौती	46.10
कुल	4,43,996.09

लीवरेज अनुपात

लीवरेज अनुपात को जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए समायोजित किया गया है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए अनुपात के साथ इसे पूंजी उपाय (अंश), एक्सपोजर उपाय (हर) से विभाजित, के रूप में परिभाषित किया जाता है। रिज़र्व बैंक 3.5% के सांकेतिक लीवरेज अनुपात पर एकल बैंकों की निगरानी करेगा।

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक के लीवरेज अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	30 जून 2026 का (समेकित)	30 जून 2026 का (एकल)
1	टियर 1 पूंजी	61,436.79	60,871.62
2	लीवरेज अनुपात के अनुसार कुल एक्सपोजर	5,27,063.66	5,25,942.68
3	बासेल III लीवरेज अनुपात	11.66%	11.57%
